आम जनता की जानकारी हेतु चुनाव प्रकिया के दौरान विशेषकर मतदान दिवस एवं पूर्व मतदान दिवस के लिये मुख्य–मुख्य बिन्दु

1. चुनाव प्रकिया के दौरान निम्नांकित कृत्य दण्डनीय अपराध है:–

   (i) धर्म, जाति, भाषा, स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देना, वैमनस्य की भावना बढाना और सौहार्द के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य करना।

   (ii) पूजा स्थलों या धार्मिक कर्म के उपयोग में आने वाले स्थान से जातियों या समुदायों या जन समूहों के बीच असोहार्दपूर्ण अथवा शत्रुतापूर्ण या वैमनस्यतापूर्ण भावनाऐं बढाना।

   (iii) किसी जुलुस मे जान–बूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का हथियार सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना।

   (iv) किसी वर्ग के लिये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना या प्रकाशित करना।

   (v) किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या इसके लिये उत्प्रेरित करने के लिये रिश्वत देना।

   (vi) किसी मतदाता के मताधिकार के स्वतंत्र उपयोग में हस्तक्षेप करना या असम्यक असर डालना।

   (vii) किसी अन्य व्यक्ति के नाम से छद्म रूप से वोट डालना (फर्जी वोट डालना)

   (viii) किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करना।

   (ix) निर्वाचन संबंधी गुमनाम अथवा मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना पम्पलेट / पुस्तिका / दस्तावेजों का मुद्रण।

   (x) अभ्यर्थी की बिना अनुमति के उसके चुनाव प्रचार–प्रसार के लिए सार्वजनिक सभा या विज्ञापन या परिपत्र या प्रकाशन आदि पर व्यय करना।

2. मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि (यानि दिनांक 29.11.2013 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 01.12.2013 को सांय 5.00 बजे तक) के दौरान निम्नांकित कृत्य दण्डनीय अपराध है:–

(i) मदिरा/शराब या अन्य मादक पदार्थ का विक्रय करना, दिया जाना या वितरण करना।

(ii) सार्वजनिक सभा या जुलुस आयोजित करना या उसमें उपस्थित रहना या संबोधित करना।

(iii) सिनेमा या टेलीविजन या ऐसे ही अन्य किसी उपकरण या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करना।

(iv) SMS या मोबाईल फोन के जरिये चुनाव प्रचार–प्रसार करना भी दण्डनीय अपराध है। यदि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी की ओर से SMS किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है या आपत्तिजनक संदेश प्राप्त होता है तो उस संदेश के Text को Sender के मोबाईल नंबर के साथ पुलिस के मोबाईल नंबर 08082000222 पर (SMSinfo <Space> Complaint Matter) अग्रेषित किया जा सकता है ताकि भेजने वाले पर कानूनी कार्यवाही हो सके।

(v) संगीत समारोह या नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित कर चुनाव प्रचार–प्रसार करना।

(vi) किसी व्यवसाय, औधौगिक उपक्रम आदि या किसी अन्य कारोबार में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को मतदान दिवस को मतदान करने के लिये सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसा नहीं करने पर उसे जुर्माने की सजा से दण्डित किया जा सकता है।

3. मतदान दिवस दिनांक 01.12.2013 को निम्नांकित कृत्य दण्डनीय अपराध है:–

(i) राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यर्थियों या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को अपने वाहनों में लाना – ले जाना।

(ii) मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आस–पास किसी मतदाता से वोट मांगना या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिये मनाना या किसी भी अभ्यर्थी को वोट नहीं देने के लिये मनाना।

(iii) मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर या मेगाफोन या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना।

(iv) मतदान केन्द्र में या उसकी 100 मीटर की परिधि में जोर–जोर से चिल्लाना या निच्छंकल आचरण करना।

(v) मतदान केन्द्र में अनुशासनहीन आचरण करना या पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करना ।

(vi) कानून व्यवस्था के लिये तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में हथियार ले जाना।

(vii) मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना।

(viii) बूथ कैपचरिंग करना। मतदान कार्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रकिया को प्रभावित करना। केवल अपने समर्थकों को ही वोट डालने देना और अन्य व्यक्तियों को मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने से रोकना। किसी मतदाता को मत देने से रोकने या अपने पक्ष में मतदान करने के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डराना, धमकाना, दबाव बनाना आदि भी बूथ कैपचरिंग की श्रेणी में माना गया है, जो दण्डनीय अपराध है।

4. अन्य बिन्दु –

(i) दिनांक 29.11.2013 को सांय 5.00 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है विधानसभा क्षेत्र में रूक नहीं सकेगा।

(ii) चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मतदान केन्द्र के 200 मी. की परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं हो सकता।

(iii) मतदान के दिन मतदान केन्द्र एवं उसके 100 मी. की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोड लेस फोन या वायरलेस सेट आदि नही ले जा सकता।

(iv) मतदान के दिन मतदान केन्द्र एवं उसके 200 मी. की परिधि के भीतर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह् या नाम आदि के पोस्टर या बैनर प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध है।

(v) मतदान के दिन किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह् अंकन वाली पर्चिया मतदान केन्द्र एवं उसके 200 मी. की परिधि के भीतर ले जाना प्रतिबंधित है। केवल ऐसी सादा पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या एवं क्रम संख्या और मतदाता का नाम का उल्लेख है वे मतदान केन्द्र के भीतर ले जाई जा सकती है।

(vi) मतदान दिवस को अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिये एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओं या दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदाता दिवस के लिये विशेष परमिट जारी कर दी जा सकती है। ऐसे परमिट वाले किसी भी वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक नहीं बैठेगे और ये वाहन मतदाताओं को लाने या ले जाने के उपयोग में नहीं लिये जा सकते। किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक व्यक्ति का वाहन बिना परमिट के चलने की अनुमति नहीं होगी।

(vii) मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव बूथ मतदान केन्द्र से 200 मी. दूर किसी स्थान पर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त कर स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक टेबिल और दो कुर्सियां बिना किसी शामियाने या टेंट के लगाई जा सकती है और 3 फीट x 1.5 फीट आकार का एक बैनर लगाया जा सकता है।

(viii) मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर चुनाव ड्यूटी स्टॉफ, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी या उसके चुनाव एजेन्ट/मतदान एजेन्ट, मतदाता (जिसमें महिला मतदाता की गोद में बालक या निःशक्त मतदाता के साथी भी शामिल है) प्रवेश कर सकते है। कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं।

(ix) मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के परिसर में प्रशासन द्वारा मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) स्थापित किये जायेगे जिसमें सभी मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता पर्ची (प्रमाणीकृत) भी उपलब्ध रहेगी। ऐसे मतदाता जो अपना EPIC या घर पर पहुंचायी गयी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को मतदान केन्द्र पर नहीं लाता है, वह इस मतदाता सहायता केन्द्र से फोटोयुक्त मतदाता पर्ची (प्रमाणीकृत) प्राप्त कर सकता है और इसके आधार पर मतदान अधिकारी को अपनी पहचान कराकर मतदान कर सकता है।

यदि मतदाता सूची में किसी मतदाता की फोटो ही नहीं है या उसे EPIC जारी नहीं हुआ है और मतदाता पर्ची में भी फोटो नहीं है या मतदाता पर्ची/मतदाता सूची में उसकी फोटो गलत है तो उसे मतदाता पर्ची (प्रमाणीकृत) के साथ आयोग द्वारा अनुमत 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिये मतदान केन्द्र में साथ ले जाना आवश्यक होगा।